

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi.

No--- 93/B

Dated----- 04.12.2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98- FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 5.6325 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Purola (Uttarkashi) (name of user agency) for Construction of Aarakot Kalich Thunara Damti Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Kalich, Thunara village(s) in Mori tehsil(s).

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.6325 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 20.00 to annexure 20.41
- The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

[Signature]
20.12.15

[Signature]
तहसीलदार
मोरी
जिला-उत्तरकाशी

[Signature]
निवाहकारी
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

[Signature]
निवाहकारी
जिला-उत्तरकाशी

प्रारूप-30.1

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT : UTTARKASHI (U.K.)**

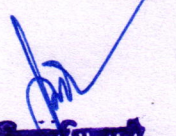
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr G.S. Rawat ~~was~~ deputy commissioner, Uttarkashi on dated 4/12/2015 at time 11:20 AM at Uttarkashi, in which application claiming rights in R.F. area measuring 5.6325 hect for the construction of Aarakot Kalich Thunara Damti Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level Purolo committee of Purolo sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Uttarkashi

Dated: 4/12/15


उत्तरकाशी
Deputy Commissioner-cum-Chairman
उत्तरकाशी
District Level Committee

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कलीच थुनारा

तहसील पुरोला, जिला :- उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में आराकोट-कलीच-थुनारा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (4.3425 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.8775 हे० सिविल सोयम भूमि.....
5.6325 हे०) अर्थात् कुल 6.52 हे० वन भूमि का जोनिगवि०पुरोला विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कलीच-थुनारा द्वारा दिनांक 19/11/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कलीच-थुनारा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जोनिगवि०पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- [Signature]
 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत-
 विकास खण्ड-मोरी
 जिला-उत्तरकाशी

विन्दूला चौहान
 प्रधान
 ग्राम पंचायत-कलीच
 मोरी(उत्तरकाशी)

ग्राम प्रधान/सरपंच
 मुहर सहित

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पुरोला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, मोरी

उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा मोटर मार्ग

(4.3425 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.8775 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 5.6325 हे० वन भूमि) का

लो० नि० विष्णुदेवा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील मोरी) की दिनांक 28/11/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री क० ई० सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री 15.5.21/86 उपजिलाधिकारी Purolo अध्यक्ष
- 2- श्री श्री वासु उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3- श्री सुनील रावत सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री सदा सिंह रावत बी०डी०सी० क्षेत्र कलीच सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 5.6325 हे० वन भूमि लो० नि० वि० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में

हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री श्री वासु द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 5.6325 हे० वन भूमि लो० नि० वि० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पुरोला
जनपद उत्तरकाशी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पुरोला
जनपद- उत्तरकाशी

प्रारूप-30.4

दिनांक 2/6/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कलीच थुनारा

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में आराकोट कलीच थुनारा डामटी 9.00 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	विजेंद्र सिंह राणा	विजेंद्र
(2)	कोकरा सिंह	कोकरा
(3)	अकबर सिंह	अकबर सिंह
(4)	सुरेश राणा	सुरेश
(5)	चमन लाल	चमन लाल
(6)	नरेश कुमार	नरेश कुमार
(7)	कमल सिंह	Kishan Singh
(8)	संजय रावत	Sanjay
9	डिपेंद्र	डिपेंद्र
10	रवि लाल राणा	रवि लाल
11	कुमल राणा	Kuldeep Raana
12	सचन लाल	Sachin Lal
13	जयलाल	जयलाल
14	निशान	निशान
15	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
16	जगदीश	जगदीश
17	प्रकाश सिंह	प्रकाश
18	विनोद सिंह	विनोद सिंह
19	नरेन्द्र सिंह	नरेन्द्र
20	नरेश कुमार	Narain
21	महेश सिंह राणा	महेश सिंह राणा
22	प्रमोद सिंह राणा	प्रमोद सिंह राणा
23	नरेश राणा	नरेश
24	प्रमोद सिंह	प्रमोद
(25)	मोहन सिंह	मोहन
26	श्यामलाल राणा	श्यामलाल
(27)	नरेश	नरेश

27	बपना सिहराणा	बपना सिहराणा
28	अनूप चन्द (कुडियाल)	अनूप चन्द
29	दिनेश राय	दिनेश राय
30	गोविन्दराम देवनार (कान्हा 2 फर्क-य)	गोविन्दराम
31	विनोद सिंह	विनोद सिंह
32	चतन राणा (कसैडी)	चतन राणा
33	शैलनाथ सिंह	शैलनाथ सिंह
34	चन्द्रमाल	चन्द्रमाल
35	जली सिहराणा (पुनरा)	जली सिहराणा
36	अनूप राणा (पुनरा)	अनूप राणा
37	अनूप राणा (पुनरा)	अनूप राणा
38	अनूप राणा	अनूप राणा
39	पुलाप सिंह	पुलाप सिंह
40	विरेन्द्र सिंह	विरेन्द्र सिंह
41	मिशिर सिहराणा	मिशिर सिहराणा
42	राजपाल राणा	राजपाल राणा
43	इन्द्र सिंह राणा	इन्द्र सिंह राणा
44	सुरेश	सुरेश
45	कुन्द सिंह	कुन्द सिंह
46	जगत सिंह	जगत सिंह
47	दयाल सिंह	दयाल सिंह
48	सुखलाल रावत	सुखलाल रावत
49	विशाल सिंह	विशाल सिंह
50	Navaraj Singh	Navaraj Singh
51	भजन दास	भजन दास
52	बजरुत	बजरुत
53	नवान लुमार	नवान लुमार
54	दीपक	दीपक
55	लकोन्द	लकोन्द
56	विन्दूला	विन्दूला
57	विन्दूला चौहान	विन्दूला चौहान
58	विन्दूला चौहान	विन्दूला चौहान
59	विन्दूला चौहान	विन्दूला चौहान
60	विन्दूला चौहान	विन्दूला चौहान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम. कलीच
विकास अण्ड
कलकत्ता उत्तरकाशी



विन्दूला चौहान

विन्दूला चौहान
ग्राम पंचायत-कलीच
वि.सं. 0 मोरी (उत्तरकाशी)

विन्दूला चौहान

ग्राम पंचायत-थुनारा
वि.सं. 0-मोरी (उत्तरकाशी)